वित्त उपलब्ध कराया जाएगा । बंजर भूमि के विकास के लिये भूमि और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का पता लगाने, परियोजनाओं को तैयार करने और वित्त-पोषण करने तथा राज्यों के भूमि सम्बन्धी कानूनों में आने वाली बाधाओं को दूर करने जैसी गतिविधियों सहित बंजर भूमि के विकास हेतु परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाएं शामिल होती है इसलिए इस अवस्था में सिंगल विन्डो एप्रोच को अपनाना संभव नहीं होगा ।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य में बंजर भूमि का पता लगाने के लिये अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के आधार पर राज्य में बंजर भूमि 7.83 मिलियन हैक्टेयर तक फैली हुई है जिसमें से 7.15 मिलियन हैक्टेयर गैर-वन क्षेत्र हैं । सरकार ने वनरोपण हेतु कई कार्यक्रम शुरु किए हैं जिनमें समेकित बंजर भूमि विकास, कृषि वानिकी/सामाजिक वानिकी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण जैसी योजनाएं शामिल हैं । 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या-16 के अंतर्गत वनरोपण तथा वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं । गुजरात में वनरोपण/वृक्षारोपण के माध्यम से बंजर भूमि के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1990–91 . . .	35.08
1991–92 . . .	58.20
1992–93 . . .	67.14

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन

3285. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग इस योजना से लाभान्वित हुए;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग और निम्न आय वर्ग के कितने लोगों को इस योजना के अधीन लाभ दिया गया;

(ङ) वर्ष 1992–93 के दौरान केन्द्र/राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(च) क्या इस योजना के अधीन आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) 1992–93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 662.22 करोड़ रुपये का आबंटन किया था ।

(ख) 1992–93 में योजना के अंतर्गत 20.68 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे ।

(ग) 1992–93 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को श्रेणी के कुल 1.11 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे ।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवल निम्न आय वाले समूहों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8500 रुपये की सीमा रेखा से कम है, को सहायता दी जाती है । 1992–93 में इस प्रकार सहायता प्राप्त कुल परिवारों में से 10.63 लाख परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों के थे ।

(ङ) 1992–93 में कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय आबंटन 331.65 करोड़ रुपये और राज्य आबंटन 330.57 करोड़ रुपये था ।

(च) आबंटित की गई समस्त निधियों का पूर्णतः इस्तेमाल कर लिया गया था । इस्तेमाल की गई 693.07 करोड़ रुपये की राशि कुल आबंटन से अधिक थी ।

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि क्षेत्र

3286. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का कुल क्षेत्र कितना है तथा राज्य के प्रत्येक जिले में विद्यमान बंजर भूमि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कितने बंजर भूमि क्षेत्र को जोत योग्य किया जा सकता है और कितना क्षेत्र ऐसा है जहां कोई वनस्पति नहीं उगाई जा सकती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के कितने बंजर क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ है और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में राज्य की बंजर भूमि को जोत योग्य क्षेत्र में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) बंजर भूमि का पता लगाने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 8.061 मिलियन हैक्टेयर बंजर भूमि है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1990-91 से लेकर 1992-93 तक 0.150 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वनरोपण किया गया है और 97.83 करोड़ पौधों का वितरण निजी भूमि पर रोपण हेतु किया गया है । 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या-16 के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण का वार्षिक लक्ष्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है । वर्ष 1993-94 के लिये वनरोपण/वृक्षारोपण हेतु 85,000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा निजी भूमि पर रोपण हेतु 32 करोड़ पौधों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खेती के लिये भूमि का वितरण

3287. श्री राधा किशन मालवीय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खेती के लिए भूमि वितरित करके उनकी दशा सुधारने का कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) राज्य/संघशासित क्षेत्र भूमि सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत फालतू घोषीत भूमि को भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को वितरित कर रहे हैं । फालतू भूमि का वितरण करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है ।

मार्च, 1993 तक 48.58 लाख लाभार्थियों को 50.39 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है जिसमें से 17.51 लाख अनुसूचित जातियों के लोगों को 17.48 लाख एकड़ भूमि और 6.92 लाख अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 7.03 लाख एकड़ भूमि आबंटित की गई है । चालू वर्ष के दौरान फालतू भूमि के वितरण के कार्यक्रम के अंतर्गत 6.39 लाख एकड़ भूमि (अनन्तिम) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त 23.27 लाख एकड़ भूदान भूमि और 127.39 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि का भी वितरण किया गया है ।

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को साधारण भूमि विकास, दो फसल मौसमों के लिए निवेश और तत्काल खपत आवश्यकताओं जैसे प्रयोजनों के लिए 2500 रुपये प्रति हैक्टयर की दर से वित्तीय सहायता भी दी जाती है । मार्च, 1993 तक, इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 5972.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है ।

Allocation made to Maharashtra for Rural Development Schemes

3288. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the allocations made to Maharashtra for each of the rural development schemes during the Eighth Five Year Plan period ;

(b) whether this allocation is less as compared to the Sixth and Seventh Five Year Plans ; and

(c) if so, the details thereof including the reasons for less allocations made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) The allocation to the States including Maharashtra for various rural development schemes during Eighth Five Year Plan period are being finalised. However, the allocations made for Maharashtra during the first two years, i.e. 1992-93 and 1993-94 of the Eighth Five Year Plan period in respect of major rural development schemes, viz. (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) ; (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) ; and (iii) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) are as under :—